

2022/258

श्रीमान जी,


निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक:-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खुलवाने का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है।


प्रार्थी चन्द्रमोहन मेहता पुत्र श्री कूलभुषण जाति ब्राहमण निवासी सरदारपुरा जीवन तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल रसीद, आई डी प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि मेरी दादी पुष्पा देवी पत्नी स्व. श्री शिवकुमार जाति ब्राहमण निवासी सरदारपुरा जीवन तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर द्वारा दिनांक 07.09.2021 को एक बंद वसीयत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 29.06.2022 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 07.09.2021 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाहान महेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुखराम जाति मेघवाल एवं गगनदीप शर्मा पुत्र श्री सतपाल शर्मा जाति ब्राहमण ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री प्रेमचंद सेवटा ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।

पत्रावली अवलोकनार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत है

जिला पंजीयक महोदय


26-8


26/8/22